प्रेस नोट थाना सदर बाजार

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक 06.01.2025- सराहनीय कार्य

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार

दिनांक 29.12.2024 को मुकदमा वादी द्वारा थाना सदर बाजार पर तहरीर दी गई थी कि उसकी पुत्री को बाइश्तवा अभियुक्तगण 1. शफीक उर्फ लल्ला पुत्र हमीदुल्ला 2. मो0 वासिद पुत्र मो0 नबी निवासीगण क्षेत्र थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर द्वारा मोबाईल का झांसा देकर अपने मुर्गी फार्म पर ले गये थे, तब से उसकी पुत्री गायब है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, जिसके आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 847/24 धारा 140(3) बी.एन.एस. बनाम बाइश्तवा अभियुक्तगण 1. शफीक उर्फ लल्ला पुत्र हमीदुल्ला 2. मो0 वासिद पुत्र मो0 नबी के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री अविनाश पुण्ढीर द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के दौरान थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा वादी की पीड़ित पुत्री को सकुशल बरामद कर नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराते हुए धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत कथन अंकित किये गये तथा विवेचना से अभियुक्त विमलेश पुत्र राम नरेश नि0 ग्राम नारायनपुर, थाना मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी उम्र करीब 21 वर्ष का नाम प्रकाश में आया है। विवेचना से उक्त अभियोग में धारा 64(m)/65(1) बी.एन.एस. तथा 4(2)/5(I)/6 पाक्सो अधि0 की वृद्धी की गई। इसी क्रम में आज दिनांक 06.01.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में **प्रकाश में आये अभियुक्त विमलेश पुत्र राम नरेश नि0 ग्राम नारायनपुर, थाना मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी उम्र करीब 21 वर्ष** को थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत चाँदनी पुलिया के पास निर्माणाधीन हाईवे के पास से समय 11.44 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त विमलेश उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायलय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ विवरणः- अभियुक्त विमलेश पुत्र राम नरेश नि0 ग्राम नारायनपुर थाना मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी उम्र करीब 21 वर्ष ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं xxxx को पिछले 2..3 महीने से जानता हूँ। हम लोगों की मुलाकात शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पर हुई थी जहाँ पर मैंने तथा xxxx ने एक दूसरे के मोबाईल नम्बर ले लिये थे। हम लोगों की फोन पर बातें होती थीं। दिनांक 27.12.2024 को xxxx को मैंने रेलवे स्टेशन शाहजहांपुर पर बुला लिया था, जहां से मैं उसे बहला फुसलाकर अपने साथ अपने गांव ले गया था। गांव मे मेरे साथ xxxx करीब एक सप्ताह तक रही। हम दोनों लोग पति पत्नी की तरह रहे थे तथा हम लोगों ने कई बार शारीरिक संबंध बनाये। दिनांक 02.01.2025 को मैं और xxxx शाहजहांपुर आये थे कि तभी मैने देखा वहां पर पुलिस वाले आ गये उन्हें देखकर मैं भाग गया था। आज मैं xxxx को तलाश करते हुए आया था तो आप लोगों ने मुझ पकड़ लिया।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 847/24 धारा 140(3) बी.एन.एस. बढोत्तरी धारा 64(m)/65(1) बी.एन.एस. तथा 4(2)/5(I)/6 पाक्सो अधि0

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

विमलेश पुत्र राम नरेश नि0 ग्राम नारायनपुर, थाना मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीमः–

1. उ0नि0 श्री अनिवाश पुण्ढीर, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर
2. कां0 2180 प्रवीण कुमार, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर
3. कां0 2147 शेखर, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर